

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा, म0प०

विज्ञप्ति :-

सर्व साधारण को इस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय स्थापना रीवा हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल लगभग 43 नग कैनस्टार कंपनी का कूलर मॉडल नं0-9704-सी स्टेपह एवं इंस्टालेशन चार्ज सहित विभिन्न प्रतिपित्र/पंजीकृत संस्थानों से म0प० भण्डार कर एवं उपार्जन नियम 2015 की कण्डिका 112 के पालन में कर किये जाने हेतु दिनांक 11.08.2017 तक निर्धारित शर्तों के अधीन सील बंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 11.08.2017 को शाम 05:30 बजे तक है। अंतिम दिनांक तक प्रातः समस्त निविदाएं निविदाकर्ताओं एवं कर समिति जिला न्यायालय की उपस्थिति में दिनांक 12.08.2017 को प्रातः 11:00 बजे जिला न्यायालय रीवा में खोली जावेगी। विस्तृत निविदा शर्तों की जानकारी माननीय लच्छ न्यायालय की वेबसाईट www.mpho.in एवं शासकीय टेलर पोर्टल www.tenders.gov.in पर उपलब्ध है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा

तकनीकी बिड -

फॉ	सामग्री	संख्या	तकनीकी विवरण
1	Kenstar Air Cooler Model 9704-C with Stand	43	ISO Certified Air Cooler contains Swing & cool facility, large water tank also with movable stand.

— वित्तीय बिड —

:: आवश्यक निर्देश ::

- वित्तीय बिड (रूपये में) समर्त कर, इंस्टालेशन चार्ज, भाड़ा इत्यादि सहित।
- सभी प्रकार के करों एवं क्य मूल्य का खुलासा एवं सकल योग स्पष्ट रूप से निविदा में अंकित किया जावे।

निविदाकर्ता संस्था का नाम

कूलर की कंपनी एवं मॉडल

क्र०	सामग्री विवरण	प्रति नग दर	टैक्स विवरण	मूल्य	कूलर संख्या	कुल मूल्य
1	Kenstar Air Cooler Model 9704-C with Stand (including all necessary accessories and installation charge)				43	

बिड का कुल मूल्य (रूपये में)

बिड का कुल मूल्य (शब्दों में)

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील

निविदाकर्ता का नाम

संपूर्ण पता

दूरभाष नं० एवं ईमेल आईडी

दिनांक

निविदा शर्तें

1. निविदा दस्तावेज एक सीलबंद लिफाफे में जिसके अन्दर दो पृथक सीलबंद लिफाफे (तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड) के साथ जमा किये जावेंगे। कोई भी निविदा विज्ञप्ति में दर्शित अंतिम दिनांक के बाद स्वीकार नहीं की जावेगी। पोस्ट अथवा कोरियर से निविदाओं को भेजा जा सकेगा, किन्तु इस माध्यम से समय उपरांत प्राप्त निविदाओं के लिये कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा उत्तरदायी नहीं होगा।
2. निविदाकर्ता द्वारा तकनीकी बिड में जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा के नाम डी०डी०/एफ०डी०आर० के माध्यम से रु०-१०,०००/- मूल्य की प्रतिभूति राशि जमा की जावेगी। इसके अतिरिक्त तकनीकी बिड में निविदा शर्त मानने वाले हस्ताक्षरित पत्र, विगत ०३ वित्तीय वर्षों का आयकर रिटर्न, सर्विस टैक्स पंजीयन, वेट रजिस्ट्रेशन, पैन नंबर, मान्य टिन नंबर, कंपनी प्रोफाईल/टर्न ओवर समाहित होगा। विगत ०३ वर्षों में केन्द्र शासन/राज्य शासन/प्रतिष्ठित निजी संस्थान में कूलर की सप्लाई संबंधी जानकारी तकनीकी बिड में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. सफल निविदाकर्ता द्वारा क्य की जाने वाली सामग्री प्रदाय एवं इंस्टालेशन किये जाने के उपरांत विभागीय क्य समिति द्वारा निविदा अनुरूप गुणवत्ता एवं निर्धारित मानक के अनुसार सामग्री पाये जाने का प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत ही देयक भुगतान की कार्यवाही की जावेगी अन्यथा सामग्री मूलतः विकेता के व्यय पर वापिस की जावेगी।
4. तकनीकी बिड का लिफाफा समस्त निविदाकर्ताओं की उपस्थिति में दिनांक १२.०८.२०१७ को खोला जावेगा। यदि निविदाकर्ता का कोई प्रतिनिधि उपस्थित होना चाहता है तो निविदाकर्ता को इस बावत् संस्था द्वारा अधिकृत पत्र प्रस्तुत करना होगा। तकनीकी बिड में दर्शित दस्तावेजों एवं निविदा शर्तों के मूल्यांकन पश्चात् क्य समिति द्वारा बिड में दर्शित सामग्री के तकनीकी मापदंडों में सफल पाये जाने पर ही निविदाकर्ता की वित्तीय बिड का लिफाफा खोला जावेगा।

५. राज्य सिविल सेवा परोक्ष क्षय आदेश जारी होने के पश्चात् क्षय आदेश मूल्य के 05 प्रतिशत मूल्य की राशि निष्पादन प्रतिभूति के रूप में डी०डी०/एफ०डी०आर० द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा के नाम जमा करानी होगी। जो सामग्री के संस्थापन होने से 60 दिवस की अवधि तक मान्य होगी। उक्त निष्पादन प्रतिभूति के प्राप्त होने के पश्चात् सफल निविदाकर्ता को पूर्व में जमा प्रतिभूति राशि लौटा दी जावेगी। सभी निविदाकर्ता निर्धारित आई०एस०ओ० प्रमाण—पत्रों का पालन सुनिश्चित करें।
६. निविदाकर्ता द्वारा कूलर पर न्यूनतम 01 वर्ष की ऑनसाईट वारण्टी एवं न्यूनतम 02 वर्ष का टैकिनकल सपोर्ट प्रदान किया जाना अनिवार्य होगा। वारण्टी अथवा टैकिनकल सपोर्ट अवधि में कूलर में किसी प्रकार की समस्या आने पर 01 कार्य दिवस में ठीक कराया जाना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त सफल निविदाकर्ता को क्षय आदेश जारी होने के अधिकतम 15 दिवस के अन्दर सामग्री प्रदाय कर इंस्टालेशन कराया जाना होगा।
७. समस्त निविदाएं तथा उनमें दर्शित दरें तकनीकी बिड खोले जाने की दिनांक से न्यूनतम 03 माह की अवधि तक मान्य होना आवश्यक है। ऐसा न होने की दशा में निविदा निरस्त करते हुये प्रतिभूति राशि जप्त की जा सकती है।
८. किसी भी समय बिना किसी कारण के संपूर्ण निविदा अथवा किसी सामग्री को निविदा से खारिज करने एवं निविदा से संबंधित सभी अधिकार माननीय जिला न्यायाधीश महोदय के अधीन सुरक्षित रहेंगे।

जिला एवं ~~न्यायाधीश~~
रीवा